>

Title: Need to fill up the vacancies of judges in Gujarat High Court.

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): गुजरात हाईकोर्ट में 42 जजों की नियुक्तियां मंजूर हुई हैं, किंतु यहां केवल 23 जज ही कार्यरत हैं। वर्ष 2009 में नये 12 जजों की नियक्ति हेतु सिफारिश की गई थी, जिसे केन्द्रीय कानून मंत्रालय को स्वीकृति हेतु भेजा गया है। हाईकोर्ट एडवोकेट्स एशोसिएशन बार काउंसिल ऑफ गुजरात द्वारा सुप्रीम कोर्ट, केन्द्रीय कानून मंत्री तथा प्रधान मंत्री जी से इस बाबत संपर्क किया गया है, किंतु अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है। फलस्वरूप गुजरात हाईकोर्ट के वकीलों को हड़ताल करने पर मजबूर होना पड़ा।

मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि उपरोक्त मामले शीघ्र ही निर्णीत करें एवम् जजों की नियुक्ति बिना बिलंब करें।